

• बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना

(National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education)

(NSIGSE)

बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना नेशनल स्कीम फार इन्सेन्टिव टू गर्ल्स फार सेकण्डरी ऐज्युकेशन (NSIGSE) भारत सरकार की पूर्णतः केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना अन्तर्गत शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकाय द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9 वी में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने वाली सभी वर्गों की पात्र अविवाहित बालिका के खाते में राशि ₹ 3000/- (राशि तीन हजार रूपए मात्र) की राशि केन्द्र सरकार द्वारा जमा की जाती है जिसे वे कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण करने तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद आहरित करने हेतु पात्र होती है।



